योजना का सार

भारत का खाद्य विनियामक परिदृश्य

संदर्भ

- खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और देश की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को शामिल करने वाले विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य नियंत्रण प्रणालियाँ डिज़ाइन की गई हैं। इसका तात्पर्य उन मानकों पर ध्यान केंद्रित करना है जिन्हें घरेलू उत्पादन और बिक्री के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी पूरा किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय खाद्य नियंत्रण प्रणाली

- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 विभिन्न अधिनियमों और आदेशों को समेकित करता है जो पहले विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में खाद्य संबंधी मुद्दों को संभालते थे।
- यह खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण, आयात और बिक्री को भी नियंत्रित करता है और एक एकीकृत खाद्य सुरक्षा निगरानी प्रणाली स्थापित करता है।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) प्रशिक्षण, प्रमाणन और क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से खाद्य व्यवसायों के बीच स्व-अनुपालन को बढ़ावा देता है।

उद्देश्य

- खाद्यजनित बीमारी के जोखिम को कम करके सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना।

- उपभोक्ताओं को अस्वच्छ, अस्वस्थ, गलत लेबल वाले या मिलावटी खाद्य पदार्थों से बचाना।
- खाद्य प्रणाली में उपभोक्ता का विश्वास बनाए रखकर तथा खाद्य में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक ठोस विनियामक आधार प्रदान करके आर्थिक विकास में योगदान देना।

लचीला खाद्य विनियामक पारिस्थितिकी तंत्र

- भारत सरकार उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने के लिए एक मज़बूत, पारदर्शी, पूर्वानुमानित और जोखिम-आधारित विनियामक ढाँचा स्थापित करने की दिशा में दृढ़ता से काम करती है।
- इसमें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के समन्वित प्रयास शामिल होते हैं।
- भारत की खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे आगे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) है, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में 2006 में स्थापित एक मज़बूत नियामक निकाय है।
- FSSAI के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत खाद्य उत्पादों के लिए व्यापक विज्ञान-आधारित मानक निर्धारित करना और उनके उत्पादन, भंडारण, वितरण और आयात की देखरेख करना शामिल है।

मानक निर्धारण प्रक्रिया और सामंजस्य

- FSSAI भारतीय खाद्य मानकों को अंतर्राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों, विशेष रूप से कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग द्वारा स्थापित दिशा-निर्देशों के अनुरूप बनाने पर जोर देता है।
- ऐसे मानकों के अंतर्गत खाद्य योजकों के लिए प्रावधान; संदूषक, विषाक्त पदार्थ, एंटीबायोटिक अवशेष, कीटनाशक अवशेष आदि पर लगी सीमाएँ; सूक्ष्मजीव विज्ञानी मानदंड; पैकेजिंग और लेबलिंग आवश्यकताएँ आदि शामिल हैं।

- खाद्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मानकों या विनियमनों को विभिन्न हितधारकों और डब्ल्यू.टी.ओ. से प्राप्त सिफारिशों के बाद तैयार किया जाता है।

प्रवर्तन मशीनरी और नियामक निरीक्षण

- खाद्य सुरक्षा मानकों के सफल कार्यान्वयन के लिए एक प्रभावी प्रवर्तन पारिस्थितिकी तंत्र महत्त्वपूर्ण है। खाद्य सुरक्षा एक साझा ज़िम्मेदारी है, और राज्य प्राधिकरण, अनुपालन सुनिश्चित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
- खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (FoSCoS) लाइसेंसिंग, पंजीकरण और फूड बिज़नेस ऑपरेटर की क्षमता और अनुपालन की निगरानी के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करती है।
- ज़मीनी स्तर पर, राज्य खाद्य सुरक्षा विभागों और FSSAI के क्षेत्रीय कार्यालयों में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (FSO) का एक नेटवर्क निरीक्षण करता है, नमूने एकत्र करता है और शिकायतों की जाँच करता है।
- FSSAI ने एक जोखिम-आधारित निरीक्षण प्रणाली (रियल टाइम बेनिफिशियरी आईडेंटिफिकेशन सिस्टम) विकसित की है जो जोखिम मैट्रिक्स के आधार पर खाद्य व्यवसाय संचालकों को लक्षित करती है, नियामक प्रयासों को अनुकूलित करती है।

क्षमता निर्माण और स्व-अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा

- खाद्य सुरक्षा नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए FSSAI ने विभिन्न कार्यक्रम और पहले शुरू कीं हैं।
- खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन (FOSTAC) कार्यक्रम का उद्देश्य खाद्य संचालकों की क्षमता का निर्माण करना और खाद्य प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना है।

थर्ड पार्टी इकोसिस्टम

- FSSAI ने अधिक जोखिम वाली खाद्य श्रेणियों के लिए खाद्य सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य रूप से करने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिटिंग एजेंसियों को भी मान्यता दी है।
- संतोषजनक ऑडिट स्कोर रखने वाले खाद्य व्यवसायों का कम बार निरीक्षण किया जाता है, जिससे अनुपालन को बढ़ावा मिलता है।
- स्वच्छता रेटिंग योजना, एक स्वैच्छिक पहल है, जो खाद्य सेवा और खुदरा व्यवसायों (बेकरी, मांस और डेयरी) को अपने अनुपालन का आकलन करने और उनके खाद्य स्वच्छता और सुरक्षा स्तरों में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

खाद्य उत्पादों के आयात का प्रबंधन

- भारत में, FSSAI मुख्य रूप से घरेलू और आयातित खाद्य सुरक्षा को विनियमित करने के लिए ज़िम्मेदार है।
- खाद्य आयात निकासी प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि सभी आयातित खाद्य उत्पाद आवश्यक सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हों।
- जोखिम प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत होने से खाद्य वस्तुओं का जोखिम स्तरों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, जिससे निकासी प्रक्रिया सुव्यवस्थित होती है।
- मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और कृषि एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत क्रमश: पशु संगरोध प्रमाणन सेवाएँ और पादप संगरोध निरीक्षण सेवाएँ भी पशु और पादप स्वास्थ्य के संबंध में खाद्य आयात नियंत्रण करती हैं।

खाद्य परीक्षण तंत्र और निगरानी

- FSSAI ने खाद्य विश्लेषण और निगरानी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए प्राथमिक प्रयोगशालाओं, रेफरल प्रयोगशालाओं और राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशालाओं (नेशनल रिफरेंस लेबोरेटरीज) का एक नेटवर्क स्थापित किया है।
- रैपिड एनालिटिक फूड टेस्टिंग किट और उपकरण ऑन-साइट परीक्षण करने, खाद्य परीक्षण की लागत को कम करने में सहायता करते हैं।
- FSSAI ने दूध में मिलावट, खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों आदि की जाँच के लिए 80 से अधिक त्वरित खाद्य मिलावट परीक्षण किट को मंज़ूरी दी है।

सहयोगी दृष्टिकोण

- स्टेकहोल्डर भागीदारी और क्षमता निर्माण के महत्त्व को पहचानते हुए, FSSAI ने खाद्य व्यवसायों को सशक्त बनाने और स्व-अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू कीं हैं।
- FOSTAC के प्रशिक्षण नेटवर्क के अलावा FSSAI ने खाद्य और पोषण में पेशेवरों का एक नेटवर्क (नेटवर्क ऑफ प्रोफेशनल इन फूड एंड न्यूट्रीशन) बनाया है, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य निकायों, उपभोक्ता संगठनों, खाद्य विज्ञान और पोषण के प्रोफेसरों, वरिष्ठ आहार विशेषज्ञों, शेफ आदि के सदस्य शामिल हैं।

भारत में निर्यात व्यापार में विभिन्न स्वायत्त संगठनों की भूमिका

- **निर्यात निरीक्षण परिषद् :** यह भारत का आधिकारिक निर्यात प्रमाणन निकाय है जो भारत से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

- इसका कार्य उन वस्तुओं को अधिसूचित करना है जो निर्यात से पहले गुणवत्ता नियंत्रण के अधीन होंगी, ऐसी अधिसूचित वस्तुओं के लिए गुणवत्ता के मानक स्थापित करना और ऐसी वस्तुओं पर लागू किए जाने वाले गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को निर्दिष्ट करना है।
- **कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण:** भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए.पी.ई.डी.ए.) एक निर्यात संवर्धन संगठन है।
- इसे जैविक खाद्य उत्पादों सहित अपने अनुसूचित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और विकसित करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
- **समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण:** इसकी स्थापना 1972 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी।
- यह देश से निर्यात के विशेष संदर्भ में समुद्री उत्पाद उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।
- **टी बोर्ड:** यह चाय की खेती, प्रसंस्करण और घरेलू व्यापार के साथ-साथ भारत से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है।
- **कॉफी बोर्ड:** निर्यात के लिए कॉफी बोर्ड से निर्यात प्रमाणन अनिवार्य है। भारत सरकार की निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना (ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम) के तहत कॉफी बोर्ड, प्रयोगशालाएँ स्थापित कर रहा है।
- **मसाला बोर्ड:** इसके पास निर्यात की गुणवत्ता को बनाए रखने और निगरानी करने, मसाला निर्यातकों के पंजीकरण, लाइसेंसिंग और अधिनियम की अनुसूची में दिखाए गए 52 मसालों के निर्यात संवर्धन की ज़िम्मेदारी है।

- **नारियल विकास बोर्ड:** नारियल विकास बोर्ड देश में नारियल उत्पादन और उपयोग के एकीकृत विकास के लिए भारत सरकार (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय) द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।
- **भारतीय तिलहन और उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद्:** यह विभिन्न तिलहनों और तेलों को बढ़ावा देने से संबंधित है।

प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की निर्यात क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता

संदर्भ

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे महत्त्वपूर्ण और आशाजनक क्षेत्रों में से एक है। भारत विभिन्न खाद्य श्रेणियों, जैसे- डेयरी, अनाज, फल और सब्ज़ियाँ, पशु प्रोटीन, मछली, मसाले, चाय आदि का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिससे वास्तव में संसाधनों की उपलब्धता के मामले में इसमें तीव्रता आई है। निर्यात वास्तव में विकास के लिए एक मज़बूत प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है।

भारत का निर्यात क्षेत्र

- वैश्विक व्यापारिक निर्यात में लगभग 1.8% की हिस्सेदारी के साथ भारत दुनिया में 18वें स्थान पर है।
- भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 23% निर्यात का योगदान होता है, जो कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में प्रभावशाली है।
- अमेरिका में निर्यात-से-जी.डी.पी. की हिस्सेदारी 12%, जापान में 19% और चीन में 21% है।
- भारत के व्यापारिक निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य की हिस्सेदारी इसकी क्षमता की तुलना में बहुत कम है।
- दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक होने के बावजूद, भारत वैश्विक स्तर पर प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में बहुत नीचे है।

- भारत 10,000 से ज़्यादा टैरिफ लाइनों पर कई तरह की वस्तुओं का निर्यात करता है। इस विशाल निर्यात टोकरी में खाद्य और कृषि उत्पाद हमारे कुल निर्यात का लगभग 11% हिस्सा हैं।
- निर्यात परिदृश्य में चावल, मसाले, भैंस का मांस, चीनी और तेल के बने भोजन जैसी कुछ प्रमुख वस्तुओं का वर्चस्व है।
- इन उत्पादों ने यूएसए, चीन, यूएई, सऊदी अरब, बांग्लादेश, ईरान, इंडोनेशिया, वियतनाम, सूडान और नीदरलैंड जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में मज़बूती से पैर जमाए हुए हैं।

निर्यात क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु प्रयास

- भारत ने अपने निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से 2018 में समर्पित कृषि निर्यात नीति की शुरुआत की थी।
- इसका उद्देश्य कृषि निर्यात 100 बिलियन अमरीकी डॉलर तक ले जाना और विभिन्न सहायक उपायों के माध्यम से कृषि निर्यात के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनाना था।
- एक अन्य महत्त्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेप, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना है, जिसे 31 मार्च, 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- इस योजना का उद्देश्य मूल्य वर्द्धित खंडों पर ध्यान केंद्रित करके और चार विशिष्ट खाद्य उत्पाद खंडों: रेडी-टू-कुक/रेडी-टू-ईट खाद्य पदार्थ, प्रसंस्कृत फल और सब्ज़ियाँ, समुद्री उत्पाद और मोत्ज़ेरेला चीज़ में विनिर्माण को प्रोत्साहित करके भारत के निर्यात पोर्टफोलियो में विविधता लाना है।
- यह योजना एस.एम.ई. की तरफ से अभिनव और जैविक उत्पादों को बढ़ावा देती है।
- इस योजना का एक अन्य अभिन्न अंग, ब्रांडिंग और विपणन की सहायता के माध्यम से 'ब्रांड इंडिया' का वैश्विक प्रचार करना है।

- मेगा फूड पार्क खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई पहल है।
- ये पार्क खेत से लेकर बाज़ार तक पूरी आपूर्ति शृंखला में खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक बुनियादी ढाँचा तैयार करते हैं।

आगे की राह

- **नीतिगत सुधार:** निर्यात क्षमता की पहचान करने और उसे अधिकतम करने के लिए डाटा-आधारित नीतियाँ आवश्यक हैं।
- सिंगापुर जैसे देशों ने पहले से ही प्रसंस्कृत खाद्य के लिए अलग एच.एस. कोड लागू किए हैं, यह प्रक्रिया जिसे भारत अपने मूल्य वर्द्धित निर्यात को बेहतर तरीके से ट्रैक करने और बढ़ावा देने के लिए अपना सकता है।
- खाद्य उत्पाद, उपभोग योग्य होने के कारण, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कड़े मानकों के अधीन हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में पहुँच और उपस्थिति बनाए रखने के लिए इन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है।
- इसलिए मानकों के एक केंद्रीकृत भंडारगृह की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ताकि एस.एम.ई. अनुपालन के लिए इनका संदर्भ ले सकें।
- एक महत्त्वपूर्ण पहलू तैयार उत्पादों की गुणवत्ता है, जो कच्चे माल की गुणवत्ता पर निर्भर है। सरकार की 10,000 किसान उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.) बनाने और उन्हें बढ़ावा देने की पहल इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है। एफ.पी.ओ. हर बार गुणवत्ता वाले कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं।
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए कौशल विकास भी महत्त्वपूर्ण है।
- उदाहरण के लिए, इंदौर क्लस्टर में नमकीन और कन्फेक्शनरी उत्पादन में लगे ऑपरेटरों के लिए, सोयाबीन भोजन प्रसंस्करण संयंत्रों और विलायक निष्कर्षण इकाइयों के ऑपरेटरों के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है।

- इसलिए, क्षमता निर्माण कार्यक्रम और प्रशिक्षण सत्र, विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टरों में, स्थानीय जनशक्ति को निर्यात मांगों के साथ संरेखित करने में मदद कर सकते है.।
- कुशल और प्रतिस्पर्द्धी लॉजिस्टिक्स सभी क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें खाद्य और कृषि क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें कोल्ड चेन, तापमान नियंत्रित गोदाम, रीफर वैन आदि की विशिष्ट आवश्यकता हो सकती है।
- निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उन्नत विपणन प्रक्रिया ज़रूरी है। वैश्विक व्यापार मेले वैश्विक खरीदारों को सुविधाजनक और परिणाम-उन्मुख तरीके से भारतीय प्रसंस्कृत खाद्य निर्यातकों से परिचित कराने में एक अनुकरणीय भूमिका निभाते हैं।
- कंपनियों को ऐसी गतिविधियों में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार से बड़ा समर्थन निश्चित रूप से भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित करने और वैश्विक प्रसंस्कृत खाद्य आयात का बड़ा हिस्सा हासिल करने में मदद करेगा।

रोज़गार सृजन और कौशल विकास पर खाद्य प्रसंस्करण का प्रभाव

संदर्भ

- हाल के वर्षों में भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र ने उच्च वृद्धि प्रदर्शित है। बावजूद इसके, भारत अपने कृषि उत्पादन का 10% से भी कम प्रसंस्करण कर रहा है। अत: प्रसंस्करण स्तर बढ़ाने के लिए व्यापक अवसर मौजूद हैं और भारत इस क्षेत्र में व्यापक निवेश क्षमता को भी बढ़ा रहा है। 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत एक 'सूर्योदय क्षेत्र' और एक प्रमुख प्राथमिकता वाले उद्योग के रूप में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मान्यता दी गई है।

भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थिति और भूमिका

- **सकल घरेलू उत्पाद में योगदान:** वर्ष 2020-21 तक समाप्त होने वाले पिछले 5 वर्षों के दौरान, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में लगभग 8.38% की औसत वार्षिक वृद्धि दर रही है, जबकि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में लगभग 4.87% की वृद्धि हुई है।
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद, रोज़गार और निवेश में अपने योगदान के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था के एक महत्त्वपूर्ण खंड के रूप में भी उभरा है।
- प्रसंस्कृत और रेडी-टू-ईट खाद्य की मांग बढ़ रही है, फिर भी समग्र जी.वी.ए. में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की हिस्सेदारी केवल 1.88% (2020-21) है।
- **रोज़गार सृजन:** वर्ष 2019-20 के लिए नवीनतम वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ASI) के अनुसार, पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में लगे व्यक्तियों की कुल संख्या 20.32 लाख थी।
- **कौशल विकास पहल:** भारत में कुशल जनशक्ति की उपलब्धता को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के सामने प्रमुख चुनौतियों में से एक के रूप में पहचाना गया है।
- सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में तकनीकी रूप से योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई कौशल विकास की पहल की है।

खाद्य प्रसंस्करण और भंडारण अवसंरचना में नाबार्ड की भूमिका

- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण हितधारक के रूप में नाबार्ड सबसे आगे रहा है, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नाबार्ड दो महत्त्वपूर्ण निधियों का प्रबंधन कर रहा है :

- **खाद्य प्रसंस्करण निधि:** भारत सरकार ने 2014-15 के दौरान नाबार्ड में 2,000 करोड़ की राशि के साथ खाद्य प्रसंस्करण निधि (एफ.पी.एफ.) की स्थापना की थी।
- **उद्देश्य:** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए निर्दिष्ट खाद्य पार्कों (DFP) की स्थापना और उनमें खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए सार्वजनिक और निजी कार्यकर्ताओं को किफायती ऋण प्रदान करना है।
- **भंडारगृह अवसंरचना निधि:** भारत सरकार ने 2013-14 में 5,000 करोड़ के कोष के साथ एक समर्पित वेयरहाउस इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (WIF) की घोषणा की।
- इस कोष की स्थापना वित्तीय सहायता के माध्यम से वैज्ञानिक गोदाम क्षमता के निर्माण के लिए राज्य सरकारों, राज्य के स्वामित्व वाली एजेंसियों और कॉर्पोरेट्स का समर्थन करने के लिए की गई थी।
- इस कोष में, राज्य सरकारों, राज्य सरकार के उपक्रमों और निजी क्षेत्र को शुष्क गोदामों, कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं और कोल्ड चेन अवसंरचना की स्थापना के लिए वित्तपोषण की परिकल्पना की गई है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुमानित निवेश क्षमता

- भारत का खाद्य प्रसंस्करण बाज़ार 2023 में 28,027.5 बिलियन तक पहुँच गया और यह दुनिया में सबसे बड़े बाज़ारों में से एक है और इसका उत्पादन 2032 तक 61,327.5 बिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है, जो वित्त वर्ष 2024-2032 के बीच 8.8% की अनुमानित बाज़ार वृद्धि दर दर्शाता है।
- इसके अलावा, भारत सरकार ने कई नीतिगत पहलें की हैं :
- उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत लाइसेंसिंग के दायरे से सभी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को छूट देना

- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से 100% एफ.डी.आई.
- कच्चे और प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए जी.एस.टी. कम करना

भावी दृष्टिकोण

- 2047 तक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 10.4% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) के लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए भविष्य की कार्यनीतियों को संरेखित करने की आवश्यकता है। भारत के प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्द्धी बनाकर इसे हासिल किया जा सकता है। इसके साथ ही खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए कुशल कार्यबल विकसित करना व कार्यबल और उद्योग के बीच मौजूदा कौशल अंतराल को दूर करना भी ज़रूरी है।